पोक्सो यह निर्दिष्ट करता है

यदि संरक्षण देने वाले ही
यौन अपराधों के दोषी हों
तो उन्हें गंभीर दण्ड

यौन दुर्व्यवहार के प्रत्येक मामले की
समस्त नागरिकों द्वारा नज़दीकी पुलिस
स्टेशन में अनिवार्य शिकायत

पीड़ित की व्यवस्था कम करने
के लिए बच्चों के अनुकूल
मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाए

पुलिस, माता-पिता, संरक्षक आदि

PROCESSES UNDER POCSO ACT

CHILD SEXUAL ABUSE

- Reporting the incident to Local police/SJPU U/S 19
- Recording of statement by SJPU/ Local Police within 24 hrs.

- Take the child to a Shelter Home/ Hospital u/s 19 (5)
- Take the child for Medical Examination by Doctor and girl child to be examined by female Doctor u/s 27 (2) Rule 5
- Recording of the Statement by the Magistrate u/s 25
- CWC to determine child's stay within 3 days, if the police SJPU report indicates that a child is in need of care and protection Rule 4 (4)
- Special Court (child friendly) shall complete trial within one year of cognizance u/s 28 & 33

Notes: As per the circumstances of the case

- Restoration to family/ guardian or Fit Person Rule 4
- Children Homes Rule 4 (4) or Shelter Homes u/s 19 (5) & Rule 4 (4)
- Counselling u/s 40
- Support Person Rule 4 (7)

- Child to be provided help of interpreter/ translator/special educator u/s 19 (4) & Rules 3 (67)
- Take measures to prevent victim coming face to face with accused u/s 33 (7) & u/s 36
- Victim Compensation Rule 7
- Prosecution by Special Public Prosecutor u/s 32

SCPCR No. : 9258127046 (Whatsapp) I Child Helpline No.: 1098

मुख्य बिन्दु

- Pocso अधिनियम के तहत बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- Pocso अधिनियम में पीड़ित बालक में 18 वर्ष से कम पुरुष एवं तीसरा लिंग (Third Gender) भी हो सकते हैं। बालक-18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति परिभाषित किया गया है।
- Pocso अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न से पीड़ित बालकों को तत्काल एक महीने के अंदर मुआवजा दिलाने का प्रावधान है।
- अधिनियम में पीड़ित बच्चों को थानों व न्यायलयों में बालमित्र (Child Friendly) का वातावरण का प्रावधान किया गया है।
- पीड़ित बच्चे के बयान ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में लिए जाए जिस पर वह विश्वास करता हो तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बयान सादी वर्दी में ही लिया जाएगा।
- Pocso अधिनियम के अन्तर्गत विशेष किशोर पुलिस ईकाई द्वारा ही बालमित्र वातावरण में कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं।
- Pocso अधिनियम के अन्तर्गत यौन शोषण में शामिल शारीरिक सम्पर्क हो सकता है या शारीरिक सम्पर्क नहीं भी हो सकता है।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

निकट-नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड,
पो.ओ. - चन्दनवाड़ी, देहरादून - 248007 (उत्तराखण्ड)
फोन : 9258127046 (व्हाट्सप)
Email: scpcr.uk@gmail.com | Website : www.scpcruk.org.in

scpcr.uk

- अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना।
- लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न
- प्रवेश्य और गैर-प्रवेश्य अपराध

पोक्सो (POCSO) क्या है?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

एक कानून, जो वर्ष 2012 में प्रवर्तित हुआ, पोक्सो 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को यौन शौषण से संरक्षण प्रदान करता है

उन यौन अपराधों से, जिनमें विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाएं शामिल हैं।
जैसे कि